झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–02 / 2020

राम नंदन साव उर्फ रमन्नन साव .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पार्टी

कोरम :

याचिकाकर्त्ता के लिएः श्री ए0 के0 चतुर्वेदी, अधिवक्ता।

विपक्षी पार्टी के लिए : श्री पंकज कुमार, विशेष लोक अभियोजक।

04 / 20.01.2020 श्री ए0 के0 चतुर्वेदी, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं श्री पंकज कुमार, विशेष लोक अभियोजक, राज्य की ओर से, को सुना।

याचिकाकर्त्ता को कुण्डा थाना कांड संख्या–5 / 2014 तद्नुसार जी0 आर0 संख्या–206 / 2014 में आरोपी बनाया गया है।

याचिकाकर्त्ता पर पोपी पौधों की खेती में शामिल होने का संदेह था और सह–अभियुक्त व्यक्ति में से एक अर्थात् मोजीम मियाँ को बी0 ए0 संख्या 9463 वर्ष 2019 में इस न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है। याचिकाकर्त्ता 10.12.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, याचिकाकर्ता, जिसका नाम ऊपर दिया गया है, को कुण्डा थाना कांड संख्या–5/2014 तद्नुसार जी0 आर0 संख्या–206/2014 में 10,000/– (दस हजार रूपये) के जमानत एवं समान राशि के दो प्रतिभूति पर एवं विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, (एन0डी0पी0एस0) के संतुष्टि पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)